

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(1)वित्त/कर/2018

जयपुर, दिनांक: 02 JAN 2025

आज्ञा

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1996 के नियम 30 के अन्तर्गत अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों से एतद् द्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	विनोद कुमार व्यास	सहायक आयुक्त	01.06.1965	31.05.2025
2.	शिवेन्द्र कुमार सक्सेना	सहायक आयुक्त	26.06.1965	30.06.2025
3.	महेश कुमार गोवला	अतिरिक्त आयुक्त	06.07.1965	31.07.2025
4.	गोपेश माथुर	सहायक आयुक्त	16.07.1965	31.07.2025
5.	दिनेश शर्मा	सहायक आयुक्त	15.07.1965	31.07.2025
6.	मेहराम जाजडा	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	30.12.1965	31.12.2025
7.	चन्द्र प्रकाश मीना	अतिरिक्त आयुक्त	20.01.1966	31.01.2026
8.	शिव चन्द	उपायुक्त	04.01.1966	31.01.2026
9.	राजपाल सिंह बेनीवाल	सहायक आयुक्त	26.01.1966	31.01.2026
10.	नरेन्द्र सिंह सान्दू	सहायक आयुक्त	01.03.1966	28.02.2026

क्रम संख्या-01 से 10 पर अंकित अधिकारियों के संबंध में प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

— sd —

(डॉ. खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारीगण द्वारा:- आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव